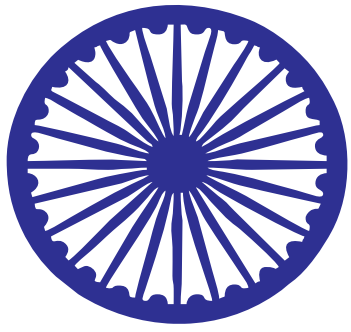




नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01

अंक : 035

दि. 07.11.2025,

शुक्रवार

पाना : 04

किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneha Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 • Email : navsarjansanskriti2016@gmail.com • Email : navsarjansanskriti2016@yahoo.com • Website : www.navsarjansanskriti.com

गुजरात में शहरी विकास की नई उड़ान: गिफ्ट और धोलेरा के बाद पीएम मोदी के राज्य में बनेंगे 5 सैटेलाइट टाउन

भूपेंद्र पटेल सरकार का बड़ा फैसला, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, सूरत और राजकोट के पास विकसित होंगी उपग्रह सिटी

(जीएनएस)। अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में शहरी विकास को नई दिशा देते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अब राज्य में पांच बड़े शहरों — अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, सूरत और राजकोट — के पास पांच आधुनिक सैटेलाइट टाउन विकसित किए जाएंगे। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब पीएम मोदी द्वारा गुजरात में शहरीकरण की नींव रखे जाने के 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं। गुजरात सरकार का यह फैसला न सिर्फ शहरी ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में कदम है, बल्कि तेजी से बढ़ती आबादी और महानगरों

पर बढ़ते दबाव को कम करने का भी प्रयास है। पहले से ही गिफ्ट सिटी (GIFT City) और धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (Dholera SIR) जैसे ड्रामा प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। अब ये पांच सैटेलाइट टाउन गुजरात के औद्योगिक और तकनीकी विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार हैं।

ये पांच सैटेलाइट टाउन होंगे विकसित

सरकार ने जिन पांच उपग्रह नगरों की घोषणा की है, वे हैं —

- कलोल (गांधीनगर शहरी विकास प्राधिकरण क्षेत्र)
- साणंद (अहमदाबाद शहरी

विकास प्राधिकरण क्षेत्र)- सावली (वडोदरा शहरी विकास प्राधिकरण क्षेत्र)
- बारडोली (सूरत शहरी विकास प्राधिकरण क्षेत्र)
- हीरासर (राजकोट शहरी विकास प्राधिकरण क्षेत्र)

इन क्षेत्रों को 'मदर सिटीज' के साथ समन्वय में विकसित किया जाएगा ताकि इनकी आबादी, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं बड़े शहरों के बोझ को संतुलित कर सकें। बेहतर शहरी जीवन और संतुलित विकास पर जोर भूपेंद्र पटेल सरकार का कहना है कि यह योजना नागरिकों को बेहतर शहरी जीवन, सस्ती



आवासीय सुविधाएं और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएंगी। इस पहल के तहत नगर नियोजन योजनाएं (TP Schemes)

परियोजनाओं को शामिल करते हुए इन क्षेत्रों में समग्र बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। महानगरों पर दबाव घटेगा सरकार का मानना है कि इन सैटेलाइट टाउन के विकसित होने से बड़े शहरों में जनसंख्या दबाव, यातायात जाम, महंगाई और जीवन-यापन की लागत में कमी आएगी। साथ ही नागरिक सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन के अवसरों का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

उच्च स्तरीय समिति और प्रारंभिक निधि मंजूर

इस महत्वाकांक्षी परियोजना की निगरानी और समन्वय के लिए

गुजरात सरकार ने एक उच्च-स्तरीय समिति गठित की है, जिसमें पर्यटन, खेल, शिक्षा, उद्योग, रोजगार, शहरी विकास, जल आपूर्ति और वित्त विभागों के सचिव शामिल होंगे। इस समिति को इन परियोजनाओं के तीव्र क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य सरकार ने इसके लिए 50 करोड़ रुपये की प्रारंभिक निधि भी मंजूर कर दी है।

गिफ्ट सिटी बनी मिसाल, अब नए शहरों पर नजर

गुजरात की गिफ्ट सिटी, जहां हाल ही में शराबबंदी आंशिक रूप से हटाई गई, पहले ही कई विदेशी कंपनियों और वित्तीय संस्थानों को आकर्षित कर चुकी है। वहीं

धोलेरा को भारत के पहले "स्मार्ट इंडस्ट्रियल हब" के रूप में तेजी से विकसित किया जा रहा है। अब राज्य सरकार का लक्ष्य है कि ये नए सैटेलाइट टाउन भी निवेश और रोजगार के केंद्र बनें और गुजरात को एक वैश्विक अर्बन हब के रूप में स्थापित करें। इस घोषणा के साथ ही गुजरात सरकार ने साफ संकेत दिया है कि आने वाले वर्षों में राज्य का शहरी नक्शा पूरी तरह बदलने वाला है — जहां हर प्रमुख शहर के आसपास एक आधुनिक, योजनाबद्ध और हरित उपग्रह नगर विकसित होगा, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया गुजरात गढ़ेगा।

बीजापुर में मुठभेड़, तीन नक्सली ढेर; बड़े नक्सली नेताओं की तलाश जारी

(जीएनएस)।बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के रीमल और अन्नारम के घने जंगलों में बुधवार सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में तीन नक्सली ढेर हो गए हैं। यह जानकारी गुरवार को बीजापुर के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने पुष्टि की। डीआरजी, सीआरपीएफ और एसटीएफ के जवानों ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया। सूत्रों के अनुसार मुठभेड़ में कई और नक्सलियों के मारे जाने की खबर भी है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फायरिंग की आवाज इतनी तेज है कि यह आसपास के आबादी वाले इलाकों तक भी सुनाई दे रही है। पुलिस और सुरक्षा बल इस इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसमें मारे गए नक्सलियों की संख्या और उनकी पहचान अभियान के पूरा होने के बाद घोषित की जाएगी। इस मुठभेड़ की पृष्ठभूमि यह है कि सुरक्षाबलों को बड़े नक्सली नेता पापा राव और केंद्रीय समिति सदस्य गणेश उइके की मौजूदगी की सूचना मिली थी। मुठभेड़



में घायल या मारे गए नक्सली इन बड़े नेताओं की सुरक्षा में लगे हुए थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस इलाके में दो दिन तक अभियान जारी रह सकता है और सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क हैं। बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य नक्सली हिंसा को जड़ से समाप्त करना है और जंगल में सक्रिय नक्सली तत्वों को पकड़ना है। उन्होंने यह भी कहा कि यह अभियान न केवल सुरक्षा बलों की तत्परता को दर्शाता

है, बल्कि यह स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और इलाके में स्थायी शांति लाने की दिशा में भी अहम कदम है। स्थानीय अधिकारी और सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह के अभियान नक्सली नेटवर्क पर दबाव डालते हैं और इलाके में हिंसा की घटनाओं को कम करने में मददगार साबित होते हैं। वहीं, सुरक्षा बलों ने नागरिकों से अपील की है कि वे घने जंगलों और मुठभेड़ के इलाकों से दूर रहें और अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें।

जेएनयू छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट यूनिटी का कब्जा, चारों पदों पर दर्ज की ऐतिहासिक जीत

(जीएनएस)।नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (JNUSU) के चुनाव परिणामों ने एक बार फिर लेफ्ट यूनिटी की मजबूत पकड़ को साबित कर दिया है। शनिवार को घोषित नतीजों में सभी चार प्रमुख पदों पर वामपंथी गठबंधन ने जीत दर्ज की। इस जीत के साथ जेएनयू परिसर में लेफ्ट यूनिटी ने लगातार अपना प्रभाव कायम रखा है। AISA (ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन) से लेफ्ट यूनिटी पैनल की उम्मीदवार अदिति मिश्रा ने अध्यक्ष पद (President) पर विजय हासिल की और जेएनयू छात्र राजनीति में एक नया चेहरा बनकर उभरीं। उपाध्यक्ष (Vice President) पद पर SFI (स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया) की गोपिका बाबू ने जीत दर्ज की, जबकि जनरल सेक्रेटरी (General Secretary) के पद पर DSF (डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन) के सुनील यादव विजयी रहे। जॉइंट सेक्रेटरी (Joint Secretary) का पद AISA के दानिश अली ने अपने नाम किया।

जेएनयू में इस बार का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ, लेकिन मतगणना के दौरान परिसर में उत्साह का माहौल देखने को मिला। जैसे-जैसे परिणाम

(जीएनएस)।डेट्राईट (मिशिगन)। अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय में शोधरत तीन चीनी नागरिकों पर गंभीर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जैविक पदार्थों की तस्करी की साजिश रची। इस मामले में संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) ने तीनों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की है।

अमेरिकी अटॉर्नी जेरोम एफ. गोरगन जूनियर ने बताया कि आरोपित शोधार्थियों ने विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला को ढाल बनाकर अवैध जैविक सामग्री अमेरिका लाने की योजना बनाई। उन्होंने कहा, "ये लोग न केवल कानून का उल्लंघन कर रहे थे, बल्कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बन गए थे। हमें अपने संघीय सहयोगियों के सतर्क प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए।" एफबीआई के अनुसार आरोपितों की पहचान शू बाई (28 वर्ष), फेंगफान झांग (27 वर्ष) और झियोंग झांग (30 वर्ष) के रूप में हुई है। ये सभी जे-1 वीजा धारक शोधार्थी हैं और मिशिगन विश्वविद्यालय की प्रसिद्ध 'शॉन जू लैब' में कार्यरत थे। जांच में सामने आया है कि वर्ष 2024 और 2025 के दौरान बाई और झांग ने गोल कृमियों (राउंडवर्म्स) से संबंधित



जैविक पदार्थों के कई शिपमेंट प्राप्त किए, जिन्हें चीन के चेंगशुआन हान ने अमेरिका भेजा था। हान, जो वुहान के लाइफ साइंस, एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज से पीएचडी कर रहे थे, जून 2025 में मिशिगन विश्वविद्यालय में शामिल हुए। जांच से निष्कासित कर दिए गए। हान के निष्कासन के बाद विश्वविद्यालय ने 'शॉन जू लैब' में आंतरिक जांच शुरू की, जिससे इस पूरे तस्करी तंत्र का खुलासा हुआ। जांच के दौरान आरोपित शोधार्थियों ने अमेरिका से भागने की कोशिश की, लेकिन 10 अक्टूबर को संघीय एजेंटों के छापे के दौरान वे फरार हो गए। फिलहाल इनके अज्ञात ठिकानों पर छिपे होने की आशंका है। एफबीआई डेट्राईट फील्ड ऑफिस की विशेष एजेंट

जेनifer रनयान ने कहा कि एजेंसी राष्ट्रीय सुरक्षा और अमेरिकी नागरिकों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, "यह मामला इस बात का उदाहरण है कि विज्ञान और अनुसंधान की आड़ में की जा रही कोई भी अवैध गतिविधि कानून के शिकंजे से बच नहीं सकती।" विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला वैज्ञानिक अनुसंधान और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन की गंभीर चुनौती को उजागर करता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि अंतरराष्ट्रीय शोधार्थियों द्वारा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं का दुरुपयोग न केवल कानून के तहत सजा का कारण बन सकता है, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।

17 लाख की इनामी महिला नक्सली कमला सोरी ने किया आत्मसमर्पण



(जीएनएस)।खैरागढ़/रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस ने गुरुवार को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। लंबे समय से फरार और 17 लाख रुपये के इनामी हार्डकोर महिला नक्सली कमला सोरी उर्फ उंगी उर्फ तरुणा (30) ने खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में पुलिस अधीक्षक के सक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। राज्य सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत कमला सोरी को तुरंत 50,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। कमला पर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र (गोंदिया) और मध्य प्रदेश की पुलिस द्वारा कुल 17 लाख रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कमला सोरी सुकमा जिले के ग्राम अरलमपल्ली की निवासी हैं और वर्ष 2011 से प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) से जुड़ी हुई थीं। वह माइ डिवीजन के तहत एमएमसी (मध्य प्रदेश-महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़) जोन में सक्रिय रही और नक्सली कमांडर रामरद की टीम में एक प्रमुख सदस्य के रूप में कार्य करती थीं।

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के पुलिस अधीक्षक लक्ष्य शर्मा ने बताया कि कमला सोरी का आत्मसमर्पण सरकार की पुनर्वासि

हिजबुल्लाह ने इजराइल से बातचीत को ठुकराया, संघर्षविराम का पालन किया जाएगा

(जीएनएस)।बेरूत। लेबनान के सशस्त्र संगठन हिजबुल्लाह ने स्पष्ट किया है कि वह इजराइल के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं करेगा, चाहे वह सीधी हो या अप्रत्यक्ष। इसके बावजूद संगठन ने यह भी कहा कि वह अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता में लागू किए गए संघर्षविराम का पालन करेगा ताकि आम नागरिकों को और पीड़ा न झेलनी पड़े। हिजबुल्लाह की यह घोषणा उस समय आई है जब पिछले वर्ष दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के अनुसार इजराइल को 60 दिनों के भीतर लेबनानी क्षेत्र से हटना था, लेकिन इजरायली सेना अभी भी दक्षिणी लेबनान में अपनी चौकियों को बनाए हुए है।

हिजबुल्लाह की राजनीतिक परिषद ने बयान में कहा कि संघर्षविराम का सम्मान करना एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, जिससे नागरिकों को और नुकसान न हो। लेकिन इजराइल से किसी भी प्रकार की संवाद प्रक्रिया देश की संप्रभुता पर चोट पहुंचाएगी। संगठन के प्रवक्ता ने टीवी पर कहा, "हम संघर्षविराम का पालन करेंगे ताकि हमारे लोगों को और कष्ट न हो, लेकिन इजराइल से बातचीत असंभव है। लेबनान झुकने वाला नहीं है।" दोनों पक्षों के बीच जारी हिंसक संघर्ष में अब तक ढाई हजार से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और लगभग 12 लाख लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं। अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता में हुए संघर्षविराम समझौते के तहत हिजबुल्लाह को लितानी नदी के उत्तर की ओर हटना था, जबकि इजराइल को अपनी सेनाओं को अंतरराष्ट्रीय सीमा तक वापस ले जाना था।

इजराइल का आरोप है कि हिजबुल्लाह ने कई बार संघर्षविराम का उल्लंघन किया



है। वहीं, लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन का कहना है कि इजराइल अब भी पांच रणनीतिक पहलुओं पर कब्जा किए हुए है। हिजबुल्लाह को लगातार ईरान का समर्थन प्राप्त है और संगठन के नए प्रमुख नईम कासिम ने कहा है कि इजराइल के खिलाफ उनका संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने यह भी दोहराया कि हिजबुल्लाह किसी भी हाल में अपने राष्ट्रीय सम्मान से समझौता नहीं करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घोषणा क्षेत्रीय तनाव को कम करने के बजाय और टिंटल बना सकती है, क्योंकि लेबनान और इजराइल के बीच असंतोष की पुरानी जड़ें अब भी बनी हुई हैं। स्थानीय नागरिकों के लिए हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं और मानवाधिकार संगठनों ने हिजबुल्लाह और इजराइल दोनों से संयम बरतने और नागरिकों को सुरक्षा देने की अपील की है। संघर्षविराम के बावजूद दक्षिणी लेबनान में सामान्य जीवन बहाल नहीं हो पाया है और हजारों विस्थापित लोग अभी भी अस्थायी शिविरों में जीवन यापन कर रहे हैं।

लेबनान और इजराइल के बीच यह गतिरोध एक बार फिर यह संकेत देता है कि क्षेत्रीय शांति की राह आसान नहीं है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और संघर्षविराम की स्थिति को स्थायी बनाने के लिए दबाव बना रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह के स्पष्ट रुख के कारण किसी भी तरह की वार्ता फिलहाल नामुमकिन नजर आ रही है।

गुजरात हाईकोर्ट से आसाराम को छह महीने की जमानत, पीड़ित पक्ष ने उठाए सवाल ‘बीमारी का बहाना या राहत का रास्ता?’

(जीएनएस)।अहमदाबाद। बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम को आखिरकार गुजरात हाईकोर्ट से छह महीने की अंतरिम जमानत मिल गई। अदालत ने यह राहत उनके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए दी है, लेकिन इस फैसले ने एक बार फिर विवाद को हवा दे दी है। पीड़िता पक्ष ने अदालत में कड़ा विरोध जताते हुए सवाल उठाया कि जब आसाराम विभिन्न शहरों में घूमते रहे और कभी किसी अस्पताल में लंबा इलाज नहीं करवाया, तो अब अचानक गंभीर बीमारी का हवाला क्यों दिया जा रहा है।

गुजरात हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान आसाराम की ओर से उनके वकीलों ने जोधपुर कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें पहले भी स्वास्थ्य कारणों से छह महीने की बेल दी गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि आसाराम की उम्र अब 86 वर्ष हो चुकी है और उन्हें हृदय संबंधी गंभीर बीमारियां हैं, जिनका इलाज जेल में रहकर संभव नहीं है। वकीलों ने यह भी कहा कि यदि आगामी छह महीनों में अपील की सुनवाई पूरी नहीं हो पाती है, तो वे दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकेंगे।

कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए कहा कि चूंकि जोधपुर हाईकोर्ट पहले ही चिकित्सा आधार पर उन्हें जमानत दे चुका है, इसलिए गुजरात हाईकोर्ट अलग रुख नहीं अपना सकता। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर राजस्थान सरकार इस जमानत आदेश को चुनौती



देती है, तो गुजरात सरकार को भी वैसा करने का पूरा अधिकार रहेगा। राज्य सरकार की ओर से पेश वकीलों ने अदालत को बताया कि अगर जोधपुर जेल में आसाराम को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो उन्हें साबरमती जेल में स्थानांतरित किया जा सकता है, जहां आवश्यक चिकित्सा उपकरण और सुविधाएं मौजूद हैं। अदालत ने इस पर सहमति जताई और कहा कि आवश्यकता पड़ने पर आसाराम को साबरमती जेल भेजा जा सकता है। वहीं, पीड़िता पक्ष के वकील ने अदालत में तीखी प्रतिक्रिया देते हुए

कहा कि आसाराम की तबीयत बिगड़ने की दलीलें पहले भी दी जाती रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वे अक्सर विभिन्न शहरों में घूमते देखे गए हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि आसाराम जोधपुर, अहमदाबाद, इंदौर और यहां तक कि ऋषिकेश और महाराष्ट्र तक में भी यात्रा करते रहे हैं। ऐसे में यह दावा कि वे इलाज के लिए असमर्थ हैं, न्याय की प्रक्रिया को भटकाने की कोशिश प्रतीत होती है।

उल्लेखनीय है कि आसाराम को 2018 में जोधपुर की पाँक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में

आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तब से वे लगातार जेल में हैं और कई बार स्वास्थ्य कारणों से जमानत की याचिकाएं दाखिल कर चुके हैं। इस बार भी अदालत ने सख्त शर्तों के साथ केवल छह महीने के लिए राहत दी है, जिसके बाद उन्हें या तो वापस जेल लौटना होगा या फिर नई सुनवाई के लिए पुनः याचिका दाखिल करनी होगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस अंतरिम जमानत के दौरान आसाराम वास्तव में अपना इलाज करवाते हैं या फिर एक बार फिर ‘बीमारी का हवाला’ अदालतों में सवालों के घेरे में आता है।

सोनभद्र में लुटेरी दुल्हन सहित मां और पति गिरफ्तार, नकली शादी कर टगी का खुलासा

(जीएनएस)।सोनभद्र। म्योरपुर थाना पुलिस ने नकली शादी के नाम पर टगी करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारियों में लुटेरी दुल्हन रानी कुमारी (23 वर्ष), उसका पति रवि रंजन मौर्य (26 वर्ष) और मां माया देवी (50 वर्ष) शामिल हैं। पुलिस के अनुसार गिरोह के दो अन्य सदस्य अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि राजस्थान के जालौर जिले के

निवासी रमेश कुमार ने आईजीआईएस पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि सोनभद्र के कुछ लोगों ने विवाह कराने के नाम पर धोखाधड़ी की और शादी के तुरंत बाद दुल्हन जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गईं।

म्योरपुर थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की। विवेचना में जुटाए गए साक्ष्यों और पीड़ित के बयान के आधार पर टीम ने सक्रिय कार्रवाई करते हुए गुरुवार को



क्विकफोस की जहरीली गैस से बना मौत का घर, दो मासूमों ने तड़पकर तोड़ा दम

(जीएनएस)।नई दिल्ली। राजधानी में एक दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया, जब एक मकान मालिक की लापरवाही ने दो मासूम जिंदगियां निगल लीं। गोला का मंदिर इलाके के प्रीतम विहार में चार वर्षीय वैभव और उसकी 16 वर्षीय बहन क्षमा की मौत फास्फीन गैस के जहरीले अक्षर से हो गई। यह गैस उस वक्त फैली जब मकान मालिक श्रीकृष्ण यादव ने गैहू को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही कीटनाशक क्विकफोस की 334 गोलियां रख दीं और उनके ऊपर एक लीटर का स्प्रे डिब्बा दिया।



जैसे ही गोलियां नमी और तरल के संपर्क में आईं, उन्होंने धीरे-धीरे घुलना शुरू कर दिया और अत्यधिक मात्रा में फास्फीन गैस निकलने लगी। इस गैस ने देखते ही देखते पूरे मकान को एक “गैस चैंबर” में बदल दिया। जहरीली गैस के असर से गिराएदार परिवार के सभी सदस्य बीमार पड़ गए। किसी के सीने में कण्डन हुई, किसी को उल्टियां, दस्त और चक्कर आने लगे। गैस ने सीधे उनके नर्वस सिस्टम पर प्रहार किया। अस्पताल ले जाते समय दोनों मासूमों की जान नहीं बच सकी, जबकि

यह कीटनाशक मेहगांव की एक दुकान से खरीदा था। एसपी अनु बेनीवाल ने बताया कि संबंधित दुकान को तुरंत सील कर दिया गया है, क्योंकि वह बिना सरकारी अनुमति के जहरीले रसायन बेच रही थी। दुकानदार को भी आरोपित बनाया जाएगा।

विशेषज्ञों के अनुसार, क्विकफोस (एल्यूमिनियम फॉस्फाइड) का इस्तेमाल खेतों और अनाज भंडारण स्थलों पर बहुत सावधानी से किया जाता है, क्योंकि यह गैस सांस के जरिए शरीर में जाते ही नर्वस सिस्टम, हृदय और फेफड़ों को बुरी तरह प्रभावित करती है। बंद कमरों में इसका उपयोग करना आत्मघाती साबित हो सकता है। यह हादसा सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि समाज के लिए चेतावनी भी है—कि रसायनों का गलत और लापरवाह इस्तेमाल जीवन की कीमत मांग सकता है। दो मासूमों की यह मौत उस क्रूर सच्चाई को उजागर करती है कि अनजाने में भी की गई एक चूक कैसे घर को गैस चैंबर में बदल सकती है।

जल्द लागू होगी सतत विमानन ईंधन नीति — केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू बोले, किसानों की आय और हरित रोजगार दोनों में होगा इजाफा

(जीएनएस)।नई दिल्ली। भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने गुरुवार को घोषणा की कि सरकार बहुत जल्द “सतत विमानन ईंधन (Sustainable Aviation Fuel - SAF)” पर राष्ट्रीय नीति लागू करने जा रही है, जिससे न केवल देश का कच्चे तेल पर निर्भरता घटेगी, बल्कि किसानों की आय में वृद्धि और हरित रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। दिल्ली में आयोजित “भारत सतत विमानन ईंधन शिखर सम्मेलन 2025” को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि “भारत ऐसे चरण में है, जहां विमानन क्षेत्र की तेजी से बढ़ती मांग के साथ पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ी है। सतत विमानन ईंधन हमें विकास और

स्थिरता, दोनों के बीच संतुलन बनाने में मदद करेगा।” राममोहन नायडू ने कहा कि भारत में सतत विमानन ईंधन का उत्पादन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे प्रतिस्पर्धी दरों पर किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि देश में 750 मिलियन टन से अधिक बायोमास और 213 मिलियन टन अधिशेष कृषि अवशेष हर वर्ष उपलब्ध हैं, जिनसे SAF का उत्पादन किया जा सकता है। “यदि हम इस संसाधन का प्रभावी उपयोग करें, तो किसानों की आय में 10 से 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है,” उन्होंने कहा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार इस नीति को लागू करने के लिए तेल कंपनियों, निजी निवेशकों और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर रोडमैप तैयार कर रही है। “तेल कंपनियों के अलावा निजी कंपनियों को भी इस क्षेत्र में भाग लेना

चाहिए। नवाचार, निवेश और वैश्विक सहयोग के बिना यह पहल सफल नहीं हो सकती,” नायडू ने कहा। उन्होंने बताया कि SAF के उत्पादन से भारत का कच्चे तेल का आयात बिल प्रति वर्ष 45 से 47 अरब डॉलर तक कम हो सकता है। इसके साथ ही 10 लाख से अधिक हरित रोजगार SAF की पूरी मूल्य श्रृंखला में उत्पन्न होंगे — जिनमें फीडस्टॉक, प्रसंस्करण, आपूर्ति और विमानन ईंधन वितरण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। मंत्री ने इस अवसर पर भारत की विमानन क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि “हमारा देश दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ नागरिक उड्डयन बाजार है। भारतीय एयरलाइनों ने अब तक 1,700 से अधिक नए विमानों के ऑर्डर दिए हैं। इस विस्तार के साथ हमें ऐसे वैकल्पिक ईंधनों की जरूरत है, जो न केवल पर्यावरण के अनुकूल हों बल्कि आर्थिक रूप से भी टिकाऊ

साबित हों।” सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक जेट ईंधन में SAF का 1 प्रतिशत मिश्रण, 2028 तक 2 प्रतिशत और 2030 तक 5 प्रतिशत किया जाए। यह ईंधन विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) में ड्रॉप-इन फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी मौजूदा इंजनों और बुनियादी ढांचे में बिना बदलाव के इसका प्रयोग संभव होगा। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसियों के अनुसार, 2040 तक वैश्विक SAF की मांग 183 मिलियन टन तक पहुंच सकती है, जबकि वर्तमान में इसका उत्पादन बेहद सीमित है। मंत्री नायडू ने अपने भाषण के अंत में कहा, “भारत केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि वैश्विक सतत विमानन ईंधन बाजार का निर्माता और नेतृत्वकर्ता बन सकता है। यह नीति हमारे किसानों, उद्योगों और पर्यावरण — तीनों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी।”

पत्नी की जासूसी के लिए GPS ट्रैकर लगाया — सूरत के RTO इंस्पेक्टर पर केस दर्ज, फॉरेस्ट ऑफिसर पत्नी ने खोला राज

(जीएनएस)।अहमदाबाद। गुजरात में निजता की सीमाएं लांघते एक अजीब और चौंकाने वाले मामले का खुलासा हुआ है। सूरत वन विभाग में कार्यरत एक रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर महिला ने अपने पति, जो स्वयं सूरत क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में इंस्पेक्टर हैं, पर उसकी जासूसी करने और उसके हर कदम पर नज़र रखने के लिए कार में GPS ट्रैकर लगाने का आरोप लगाया है। मामले सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

पुलिस को दी गई शिकायत में महिला अधिकारी ने बताया कि वह पिछले एक साल से अपने पति से अलग रह रही हैं और इस दौरान उन्होंने अपने माता-पिता के घर पर रहना शुरू कर दिया था। शायी 2020 में हुई थी, लेकिन कुछ वर्षों बाद दोनों के बीच लगातार मतभेद और झगड़े बढ़ने लगे। आखिरकार वह पति का घर छोड़कर अपने मायके चली गईं। अलगाव का मामला वर्तमान में सूरत जिला अदालत में लंबित है। महिला ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले जब वह अपनी कार की सफाई करवा रही थीं, तो बोनट के अंदर एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिखाई दिया। गौर से देखने पर पता चला कि यह एक GPS ट्रैकर था, जिसमें सिम कार्ड लगा हुआ था और संभवतः रीयल-टाइम लोकेशन भेजने की क्षमता रखता था। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह किसी सर्विस सेंटर की गलती होगी, लेकिन परिवार के सदस्यों से पूछने पर जब किसी को कुछ नहीं पता चला, तो शक गहराया और उन्होंने



सीधे पुलिस से संपर्क किया।

जांच में सामने आया कि यह GPS ट्रैकर उस तरह का डिवाइस था जिसे मोबाइल नेटवर्क से जोड़कर किसी की हर गतिविधि का सटीक पता लगाया जा सकता है। पुलिस को शक है कि आरोपी पति ने यह डिवाइस अपनी पत्नी की लोकेशन जानने और उसके मूवमेंट पर नज़र रखने के लिए कार में लगाया था। मेहसाणा जिले में कुछ दिन पहले एक व्यक्ति द्वारा पूर्व प्रेमिका के घर के बाहर छिपा कैमरा लगाने का मामला सामने आया था, और अब यह घटना सामने आने के बाद एक बार फिर निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उल्लंघन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सूरत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि महिला अधिकारी की शिकायत के आधार पर आरटीओ इंस्पेक्टर पति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 78(1) (ii) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो किसी महिला का पीछा करने या

उसकी निजता का उल्लंघन करने से संबंधित अपराध है। पुलिस ने आरोपी को बयान दर्ज कराने के लिए समन भेजा है और डिवाइस को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि डिवाइस कब लगाया गया था और किन लोकेशन डेटा को रिकॉर्ड किया गया। फॉरेस्ट ऑफिसर पत्नी ने कहा, “मैं एक सरकारी अधिकारी हूं। यह मामला केवल एक परिवारिक विवाद नहीं, बल्कि मेरी निजता पर हमला है। अगर कोई सरकारी अधिकारी ही इस तरह की हरकत करेगा तो आम महिलाओं की सुरक्षा का क्या होगा?” पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी ने ट्रैकर को किसी ऐप या नेटवर्क सर्वर से जोड़ा था और क्या किसी तीसरे व्यक्ति की इसमें भूमिका रही। इस घटना ने न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा पर प्रश्न उठाए हैं, बल्कि यह भी दिखाया है कि कैसे तकनीक का दुरुपयोग निजी जीवन को निगरानी के दायरे में बदल रहा है।